अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्याः 369/2013

नफीस आलम —— अपीलार्थी

वनाम

पन्नालाल साह —— रेस्पोण्डेन्ट

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद अपीलार्थी द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सहरसा द्वारा पारित आदेश दिनांकः 18.06.2013 ई0 अन्दर भूमि विवाद वाद संख्याः 170/12 के विरूद्ध खिलाफ रेस्पोण्डेन्ट्स के इस न्यायालय में दायर किया गया है।

वाद पुकारा गया। उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना एवं अभिलेख पर रक्षित कागजात का अवलोकन किया।

प्रस्तुत अपील वाद में मौजाः सहरसा हटियागाछी, अंचल– कहरा, थाना संख्याः189 तौजी नं0 3718 वार्ड संख्या :32, पुराना खाता सं०–1310, नया खाता सं०–361, पुराना खेसरा सं०–2035, नया खेसरा सं०–773 रकवा–0.1.7 धूर (एक कट्ठा सात धूर) भूमि विवादी प्रश्नगत भूमि है, जिसकी चौहद्दी उत्तर–रामराज पाण्डेय, सुधाकर मिश्रा, दक्षिण– पी०डब्लू०डी० रोड, पूरब–नफीस आलम (अपीलार्थी), पश्चिम–पूर्व में रामराज पाण्डेय वर्त्तमान में अमरेन्द्र साहा पन्ना लाल साह है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह कथन करते हैं कि अपीलार्थी/प्रतिवादी के मकान के पश्चिम एक गली है जिसकी चौड़ाई करीब 03 फीट है। उक्त गली नया खेसरा सं०–773 की भूमि न होकर यह नया खेसरा सं०–775, क, ख, ग, घ, च, छ, एवं ज का रकवा लगभग 16.35 अर अपीलार्थी/प्रतिवादी एवं उनके सह हिस्सेदारों के हक वो दखल की भूमि है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं पुराना खाता सं०–1310, खेसरा सं०–2035 रकवा–0.5.10 (पॉच कट्ठा दस धूर) भूमि परमानगी बंदोबस्ती के माध्यम से पूर्व जमींदार से मो० उसमान द्वारा 14 वैशाख 1322 साल फसली को अर्जित की गयी, वो रकवा–0.4.0 (चार कट्ठा) भूमि निबंधित बिक्री दस्तावेज के माध्यम से मौजा सहरसा थाना नं० 189 के जैनूल आबदीन पिता–मो० सुलेमान एवं मो० वकील अहमद पिता–मो० उसमान द्वारा अर्जीत थी जिसमें से उन्होनें 2 कट्ठा 15 धूर भूमि जैनूल

आबदीन के हाथ निबंधित बिक्री दस्तावेज दिनांक–20.12.1951 के माध्यम से बिक्री कर दिया। जिसपर उनके द्वारा अपना पक्का छतदार मकान एवं पक्का खपड़ापोस मकान जिसके पश्चिम से अपनी सहुलियत मुताबिक 03 फीट गली छोड़कर बनाया गया वो बंटवारा के पश्चात रकवा–0.4.15 (चार कट्ठा पंद्रह) धूर भूमि के निश्वत जमाबंदी संख्या–5 अपीलार्थी/प्रतिवादी के दादा जैनूल आबदीन के नाम से चलती है। कुल रकवा–0.4.15 (चार कट्ठा पंद्रह) धूर भूमि के निश्वत जमाबंदी संख्या–6 रेस्पोण्डेन्ट के सह–हिस्सेदार वकील अहमद पिता–मो० उसमान के नाम से चलती है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता आगे यह भी कथन करते हैं कि नगरपालिका के सर्वे खाता संख्या–356, खेसरा सं०–775 क–पक्का छत मकान, ख–भीठ–2 फुलवारी, ग–शौचालय, घ–पक्का कुऑ, च–पक्का खपड़ापोश मकान, छ–पक्का खपड़ापोश मकान एवं ज–कच्चा मकान कुल रकवा–16.35 अर भूमि रिविजनल सर्वे के फाईनल खतियान में महमूद आलम, मसूद आलम, फिरोज आलम (अपीलार्थी/प्रतिवादी के पिता) पिता– जैनुल आलम तथा वकील अहमद पिता मो0 उस्मान के नाम से दर्ज है।

अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में निम्नन्यायालय द्वारा पारित आदेश की सत्यापित प्रति, बन्दोबस्ती परमानगी, दिनांक 14 बैसाख 1322 फसली , सेलडीड 4938 वर्ष 1951 एवं 4939 वर्ष 1951 की छाया प्रति, जमाबंदी संख्या 5 एवं 6 का रेंट रसीद की छाया प्रति, खाता संख्या 356 खेसरा 775 क,ख, ग, घ, च, छ एवं ज का फाईनल खतियान की छाया प्रति दाखिल किए हैं।

दूसरी ओर दिनांक 20.09.2013 को नामांकन विन्दु पर सुनवाई के कम में रेस्पाण्डेन्ट/वादी शक्ति पत्र के साथ उपस्थित होकर रेस्पोण्डेन्ट/वादी के विज्ञ अधिवक्ता बहस के कम में यह कथन करते हैं कि प्रश्नगत विवादी भूमि रेस्पोण्डेन्ट/वादी के चाचा महाबीर साह के नाम से संयुक्त परिवार में दिनांक 25.04.67 को खरीद किया गया जिस दिन से रेस्पोण्डेन्ट/वादी दखलकार हैं तथा रेस्पोण्डेन्ट/वादी तीन भाई पन्ना लाल साह, अरूण कुमार लाल, बिजय कुमार लाल के परिवार एवं फरिक के बीच बंटवारा हुआ जिसमें खाता खेसरा की एराजी साथ अन्य जमीन रेस्पोण्डेन्ट/वादी के हिस्से में मिला, जिसकी जमाबंदी–441 रेस्पोण्डेन्ट/वादी की मॉ चन्द्रा देवी के नाम से प्राप्त है। रेस्पोण्डेन्ट/वादी के प्राप्त मालगुजारी रसीद में खाता–1307, खेसरा–2057, रकवा–01 कट्ठा एवं खाता–41, खेसरा–2050 रकवा–2 कट्ठा एवं विवादी खेसरा–1310 खेसरा–2035 रकवा–01 कट्ठा 07 धूर, कुल रकवा–4 कट्ठा 07 धूर है जिसमें से विवादी भूमि 01 कट्ठा 07 धूर का भी रसीद रेस्पोण्डेन्ट/वादी को प्राप्त है जिस भूमि पर मकान मय सहन रेस्पोण्डेन्ट/वादी एवं उनके भाई का है तथा भूमि के दक्षिण में सड़क के तरफ से रेस्पोण्डेन्ट/वादी की व्यवसायिक दुकान है तथा उत्तर में गोदाम एवं खाली सहन होना बतलाते है।

रेस्पोण्डेन्ट/वादी के विज्ञ अधिवक्ता यह भी कथन करते हैं कि रेस्पोण्डेन्ट के मकान से सटे पूरब गली छोड़ा गया है ताकि मकान पर प्लास्टर ,देखभाल की जा सके तथा उत्तर से दक्षिण अपनी भूमि पर आया–जाया जा सके। जिसका उपभोग रेस्पोण्डेन्ट/वादी द्वारा किया जाता रहा है। अपीलार्थी/प्रतिवादी द्वारा अपना मकान बनाने के क्रम में रेस्पोण्डेन्ट/वादी के हक वो दखल की प्रश्नगत भूमि के कुछ भाग पर अवैधानिक रूप से अतिक्रमित कर लेने तथा अपीलार्थी/प्रतिवादी बिना जमीन छोडे हुए रेस्पोण्डेन्ट/वादी के जमीन तरफ खिड़की का खाचा छोड़ना एवं खिड़की के उपर छज्जी निकालने को लेकर विवाद होना बतलाते हैं।

रेस्पोण्डेन्ट/वादी अपने दावे के समर्थन में नगरपालिका द्वारा निर्गत नोटिश दिनांक 03.10.09 की छाया प्रति, रेंट रिसिप्ट की छाया प्रति, सेलडीड दिनांक 25.04.67 की छाया प्रति, 25.06.84 को बंटवारा की छाया प्रति एवं अमीन का मापी प्रतिवेदन की छाया प्रति दाखिल किए हैं

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ताओं को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात का सुक्ष्म अवलोकन किया पाया कि निम्न न्यायालय द्वारा

विवादित स्थल का अंचल अमीन से मापी कराकर एवं मामले की विस्तृत एवं सम्यक विवेचना करते हुए न्यायोचित आदेश पारित किया गया है। इसमें किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। अस्तु अपील अस्वीकृत। इसी के साथ वाद निस्तारित किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

6/12/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

6/12/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा